



प्रेस विज्ञप्ति

02.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने खाद्य विभाग में पंजाब टेंडर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 01.08.2024 को पंजाब के पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है। भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत मंजूर की है।

ईडी ने सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि भारत भूषण उर्फ आशु ने कई फर्जी संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को लूटा था और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदी थीं।

इससे पहले, ईडी ने पंजाब टेंडर घोटाला मामले में 24.08.2023, 04.09.2023 और 06.09.2023 को भारत भूषण आशु, पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, पंजाब और उनके सहयोगियों के लुधियाना, मोहाली, नवांशहर और चंडीगढ़ (पंजाब) में 24 स्थानों पर आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान में नकदी जब्त की गई और बैंक खातों में पड़े धन को फ्रीज किया गया, कुल राशि में संपत्तियों, सोने के आभूषणों और सोने की बुलियन को फ्रीज किया गया। इस मामले में जब्ती और फ्रीजिंग सहित बरामदगी का कुल मूल्य 8.46 करोड़ रुपये से अधिक था।

आगे की जांच जारी है।